उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांकः– 24.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांकः- 24.11.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 24.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता हेतु महोबा पुलिस द्वारा व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 24.11.2025 को जनपद महोबा के समस्त थानों की मिशन शक्ति टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं साइबर अपराधों की रोकथाम के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

इस दौरान थानों की पुलिस टीम द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को महिला संबंधी अपराधों, उनकी रोकथाम, तथा शिकायतों के निस्तारण हेतु उपलब्ध सुविधाओं व हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई, जिसमें वूमेन पॉवर लाइन– 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा– 112, एम्बुलेंस– 108, चाइल्ड लाइन– 1098, स्वास्थ्य सेवा– 102, महिला हेल्पलाइन– 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन– 1076, साइबर हेल्पलाइन– 1930 साथ ही उन्हें गुड टच-बैड टच, घरेलू हिंसा, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी गई एवं शासन द्वारा संचालित महिला कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में पम्पलेट वितरित किए गए। साथ ही थानों में नवस्थापित मिशन शक्ति केन्द्रों की भूमिका व उनके माध्यम से महिलाओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी साझा की गई।

उद्देश्य - महोबा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत चलाए जा रहे ये जन-जागरूकता कार्यक्रम न केवल महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी, सजग और सुरक्षित बनने का संदेश दे रहे हैं, बल्कि समाज में नारी सम्मान एवं सुरक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में एक सार्थक कदम हैं।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 24.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

यातायात माह एवं मिशन शक्ति 5.0 के तहत छात्राओं हेतु विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में यातायात माह नवंबर तथा मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 24.11.2025 को थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज, चरखारी में एक विशेष जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई।

यातायात जागरूकता से संबंधित मुख्य बिंदु –

- छात्राओं को दैनिक जीवन से जुड़े आवश्यक यातायात नियमों, स्टॉप स्लो–गो–संकेत, हेलमेट व सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, गति सीमा का पालन, सड़क पार करने के सुरक्षित तरीके, एवं वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई।
- अधिकारियों ने कहा—"हेलमेट सुरक्षा के लिए पहनें, चालान से बचने के लिए नहीं।"
- सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु निर्देशात्मक, सूचनात्मक एवं सांकेतिक यातायात चिन्हों की महत्ता समझाई गई तथा छात्राओं को जीवन की सुरक्षा हेतु हमेशा यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई।

मिशन शक्ति फेज 5.0 के अंतर्गत जागरूकता-

कार्यशाला में छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान, थानों में संचालित महिला हेल्पडेस्क, मिशन शक्ति केन्द्र, तथा महिलाओं हेतु उपलब्ध सुरक्षा सेवाएं जैसे 1090, 181, 112 आदि के बारे में बताया गया।

छात्राओं को आत्मरक्षा तकनीकों, साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग तथा किसी भी उत्पीड़न/संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने हेतु प्रेरित किया गया।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 24.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

एक ही खतौनी से कई अभियुक्तों की जमानत लेने वाले वांछित अभियुक्त को थाना चरखारी पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में अवैध रूप से अपराधियों की जमानत कराने वाले व्यक्तियों के सत्यापन व गिरफ्तारी हेतु संचालित अभियान के तहत महोबा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे इस अभियान के क्रम में, थानाध्यक्ष चरखारी श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम (उपनिरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह मय हमराह) को जानकारी मिली कि एक ही खतौनी का उपयोग कर कई अभियुक्तों की जमानत लेने का कार्य किया जा रहा है।

सत्यापन के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी नन्दराम पुत्र हीरालाल, उम्र लगभग 80 वर्ष, निवासी मोहल्ला हाथीखाना, कस्बा व थाना चरखारी, जनपद महोबा द्वारा एक ही खतौनी से कई अभियुक्तों की जमानत ली गई थी। इस अवैध गतिविधि के संबंध में थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 258/2025, धारा 229/233/237/246/318(4) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त नन्दराम को निरीक्षण भवन गेस्ट हाउस के पास, कस्बा चरखारी से गिरफ्तार किया है, गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

महोबा पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी है, जिसके तहत जमानत संबंधी अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ0नि0 चन्द्रशेखर सिंह
2. हे0का0 देवीशरण 3. का0 महेश प्रसाद

गिरफ्तार अभियुक्त :-

नन्दराम पुत्र हीरालाल उम्र करीब 80 वर्ष निवासी मु0 हाथीखाना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:– 24.11.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

एक ही खतौनी से कई अभियुक्तों की जमानत लेने वाले वांछित अभियुक्त को थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में अवैध रूप से अपराधियों की जमानत कराने वाले व्यक्तियों के सत्यापन व गिरफ्तारी हेतु संचालित अभियान के तहत महोबा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे इस अभियान के क्रम में, प्र0नि0 पनवाड़ी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा आज दिनांक 24.11.2025 को गठित की गयी पुलिस टीम उ0नि0 रामकिशन यादव मय हमराह को जानकारी मिली कि एक ही खतौनी का उपयोग कर कई अभियुक्तों की जमानत लेने का कार्य किया गया।

सत्यापन के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी मान सिंह पुत्र स्व0 भुजबल यादव उम्र करीब 61 वर्ष निवासी ग्राम लोधीपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा एक पेशेवर जमानतदार है जिसके द्वारा कई अभियुक्तों की जमानत ली गई थी । इस अवैध गतिविधि के संबंध में थाना पनवाड़ी में मु0अ0सं0 246/2025 धारा 229/233/237/246/318(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित को उसके घर से सामने से ग्राम लोधीपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के पास से गिरफ्तार किया है। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को न्याया0 पेशी हेतु भेजा गया ।

महोबा पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी है, जिसके तहत जमानत संबंधी अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

मान सिंह पुत्र स्व0 भुजबल यादव उम्र करीब 61 वर्ष निवासी ग्राम लोधीपुरा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 रामकिशन यादव
2. का0 कमील खान

महोबा पुलिस

एक ही खतौनी से कई अभियुक्तों की जमानत लेने वाले वांछित अभियुक्त को थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में अवैध रूप से अपराधियों की जमानत कराने वाले व्यक्तियों के सत्यापन व गिरफ्तारी हेतु संचालित अभियान के तहत महोबा पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे इस अभियान के क्रम में, थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री जयचन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 23.11.2025 को गठित की गयी पुलिस टीम वरिष्ठ उपनिरीक्षक विजय बहादुर सिंह मय हमराह को जानकारी मिली कि एक ही खतौनी का उपयोग कर कई अभियुक्तों की जमानत लेने का कार्य किया जा रहा है।

सत्यापन के दौरान खुलासा हुआ कि आरोपी रामराजा सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासीगण ग्राम मबई थाना श्रीनगर जनपद महोबा एक पेशेवर जमानतदार है जिसके द्वारा कई अभियुक्तों की जमानत ली गई थी। इस अवैध गतिविधि के संबंध में थाना श्रीनगर में मु0अ0सं0 223/2025, धारा 229/233/237/246/318(4) BNS के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वांछित को बिलरही तिराहा मुहल्ला किशोरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा के पास से गिरफ्तार किया है। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को न्याया0 पेशी हेतु भेजा गया।

महोबा पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी है, जिसके तहत जमानत संबंधी अवैध कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामराजा सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासीगण ग्राम मबई थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. व0उ0नि0 विजयबहादुर सिंह
2. हे0का0 शिवदयाल